न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 41/21

दायरा दिनांक 06.09.2021

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

नाथूलाल पुत्र गणेश उम्र 70 वर्ष जाति चमार निवासी शाहावाद तहसील शाहाबाद जिला बारां (राजस्थान)

– वादी

– बनाम –

1. बच्चू पुत्र देवीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. ईसरदे पत्नि बच्चू जाति कोली निवासी ग्राम बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 18.08.2022

उपस्थित– वादी की ओर से–श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
प्रतिवादीगण की ओर से–एकपक्षीय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चिरौली पटवार हल्का बमनगवां तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 218/278 रकवा 3.08 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 230/279 रकवा 6.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वादी अनुसूचित जाति के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसे वादी वहैसियत मालिक व स्वामी काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, जिसमें किसी को भी दखलन्दाजी अथवा हस्तक्षेप करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण पति पत्नि हैं, जो बिना किसी हक व अधिकार के जबरन ताकत के बल पर वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने को आमादा हो रहे हैं, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं है। गत आषाढ माह में प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी की विवादित आराजी पर आ गये और वादी को धमकी देने लगे कि पटवारी ने हमारे खाते की भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 2.00 बीघा तुम्हारे खेत के अन्दर बतलाई है, इसलिये हम तुम्हारी उक्त आराजी में जबरन हांक कर कब्जा करेंगें। ततसमय बडी मुश्किल से वादी ने हाथा जोडी कर प्रतिवादीगण को अपने खाते की विवादित भूमि में हांकने व कब्जा करने से रोका। परन्तु दिनांक 01.09.21 को प्रतिवादीगण ने पुनः वादी को धमकी दी है कि वादी ने फसल बो दी है तो क्या हुआ अब प्रतिवादीगण जबरन वादी की खडी फसल को काट कर ले जायेंगे और जमीन पर कब्जा करके रहेंगे । प्रतिवादीगण के उपरोक्त कृत्य व धमकी से वादी के हकूक मालिकाना आराजी को भारी खतरा [illegible] हो गया है, इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का [illegible] अधिकारी है, आदि।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में जबावदावा पेश नहीं होने से सीधे ही वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। वादी की ओर से पी.डब्ल्यू 1 वादी नाथूलाल के बयान कराये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम चिरोली सम्वत 2074–77 प्रदर्श–1 पेश, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, पैमाइश रिपोर्ट प्रदर्श 4ए, पेश की गई। वादी वकील की एकपक्षीय वहस उभयपक्ष सुनी गई। विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार है –

स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वादी को यह साबित करना पडेगा कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व की है और वाद पेश किये जाने के समय उसका कब्जा रहा है। वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

अपने खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम चिरोली सम्वत 2074–77 प्रदर्श–1 प्रदर्श–1 पेश की है, जिससे वादी विवादित भूमि खसरा नम्बर 218/278 रकवा 3.08 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 230/279 रकवा 6.00 बीघा का खातेदार होना प्रमाणित है। प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस से विवादित भूमि तरमीम है और नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 में फसल की टीप दर्ज है, जिससे वादी का कब्जा होना साबित होता है। वादी की ओर से पेमाइश रिपोर्ट प्रदर्श 4ए दिनांक 17.08.2006 भी पेश की गई है, जिसके अनुसार बाद पैमाइश पत्थर गढी होना साबित है। इस प्रकार विवादित भूमि का स्वामित्व तथा कब्जा वादी साबित करने में सफल रहा है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 218/278 रकवा 3.08 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 230/279 रकवा 6.00 बीघा ग्राम चिरोली बावत वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी मुकाम– शाहाबाद

व इजलास – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

नाथूलाल पुत्र गणेश उम्र 70 वर्ष जाति चमार निवासी शाहावाद तहसील शाहाबाद जिला बारां (राजस्थान) – वादी

– बनाम –

1. बच्चू पुत्र देवीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. ईसरदे पत्नि बच्चू जाति कोली निवासी ग्राम बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – प्रतिवादीगण

दावा बावत– अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 41/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....

व हाजरी.....मिनजामिन मुद्दई रूबरू.....

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 218/278 रकवा 3.08 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 230/279 रकवा 6.00 बीघा ग्राम चिरोली बावत वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे।**

निज .....मुबलिग.....बावत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.08.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक			स्टाम्प अर्जीदावा सटाम्प अर्जी मेहनताना बकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बवत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद